



“हिन्दी भाषा राष्ट्र निर्माण में सहायक है”
कार्यालय रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक (मध्य कमान)
Principal Controller of Defence Accounts (CC)

१, करियप्पा मार्ग, लखनऊ छावनी-226002

1, Cariappa Road, Lucknow Cantt.-226002

दूरभाष सं. 8887141546/48 Ext. 328 Email: pcdacchindicell.dad@



सं. प्रशा /1025/हि.क/ति.प्र.रि.समीक्षा/09/2021

दिनांक -27/09/2021

सेवा में,

प्रभारी अधिकारी

1. मुख्य कार्यालय के सभी अनुभाग
2. सभी अधीनस्थ कार्यालय

विषय : 03/2021 एवं 06/21 की राजभाषा हिंदी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित तिमाही प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा ।

मुख्यालय, दिल्ली के दिनांक 10.09.2021 के उपर्युक्त विषयक पत्र के निर्देशानुसार राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत आने वाले कागजात अनिवार्य रूप से द्विभाषी रूप में जारी किए जाएं। साथ ही राजभाषा नियम-5 (हिन्दी में प्राप्त पत्रों का उत्तर हिन्दी में दिया जाना) के अनुपालन का भी ध्यान रखा जाए।

राजभाषा अधिनियम 1963(3) के अंतर्गत निम्नलिखित 14 कागजात आते हैं:-

- | | |
|------------------------------|--|
| 1 सामान्य आदेश | 8 करार |
| 2 संकल्प | 9 अनुज्ञप्तियां |
| 3 नियम | 10 अनुज्ञापत्र |
| 4 अधिसूचनाएं | 11 सूचनाएं |
| 5 प्रशासनिक एवं अन्य रिपोर्ट | 12 निविदा प्रपत्र |
| 6 प्रेस विज्ञप्तियां | 13 निविदा सूचना |
| 7 संविदाएं | 14 संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखे जाने वाले कागजात |

नोट: सामान्य आदेश में निम्नलिखित सम्मिलित है: (1) ऐसे सभी आदेश, निर्णय या अनुदेश जो विभागीय प्रयोग के लिए हों और जो स्थायी प्रकार के हों; (2) ऐसे सभी आदेश, अनुदेश, पत्र, ज्ञापन, नोटिस आदि जो सरकारी कर्मचारियों के समूह अथवा समूहों के संबंध में हों या उनके लिए हों; (3) ऐसे सभी परिपत्र जो विभागीय प्रयोग के लिए हों या सरकारी कर्मचारियों के लिए हों।

उपर्युक्त सभी कागजातों को द्विभाषी रूप में जारी करना अनिवार्य है और इन पर हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी का उत्तरदायित्व है कि वह इन पर तभी हस्ताक्षर करें जबकि इन्हें हस्ताक्षर के लिए द्विभाषी रूप (हिन्दी/अंग्रेजी) में प्रस्तुत किया गया हो। कृपया सुनिश्चित करें कि धारा 3(3) के अंतर्गत जारी किए जाने वाले कागजातों को द्विभाषी रूप में ही तैयार किया जाए।

(विजय कुमार)
लेखाधिकारी(रा.भा.)

पृष्ठांकन सं. प्रशा /1025/हि.क/ति.प्र.रि.समीक्षा(01)/09/2021

प्रतिलिपि:

1. प्रभारी अधिकारी: राजभाषा अनुभाग

का. रक्षा लेखा महानियंत्रक...

उलान बटार मार्ग, पालम,

दिल्ली छावनी-110010

आपके दिनांक 10.09.2021 के पत्रांक 74028/1/73/

हिं.क./ति.प्र.रि./03/2021 एवं 74028/1/73/

हिं.क./ति.प्र.रि./03/2021 के संदर्भ में सूचनार्थ।

2. स्वचलन एवं पद्धति: कार्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

लेखाधिकारी(रा.भा.)